

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा एवम् स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक/नर्सिंग/एलएचवी/स्वै0नि0/वी-6/2017/

दिनांक:-

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
बीकानेर ।

विषय: श्रीमती वसन्ता कुमारी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका के स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति  
आदेश जारी करने बाबत ।

सन्दर्भ:- आपका पत्रांक 7582-83 दिनांक 04.09.2017

उपरोक्त विषयान्तर्गत सन्दर्भित पत्र के क्रम में श्रीमती वसन्ता कुमारी, महिला  
स्वास्थ्य दर्शिका, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बीकानेर के दिनांक 01.11.2017 से स्वैच्छिक  
सेवानिवृत्ति आदेश जारी करने के सम्बन्ध में लेख है कि निदेशालय के आदेश क्रमांक  
नर्सिंग/विविध/06/365 दिनांक 21.11.2006 के द्वारा नर्सिंग कर्मियों की कमी को देखते हुए  
स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति पर रोक है ।

अतः कार्मिका को दिनांक 01.11.2017 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति आदेश जारी किया  
जाना संभव नहीं है आप अपने स्तर से कार्मिका को पाबन्द/ सूचित करें।

- *Sd*

उप निदेशक (नर्सिंग)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज.जयपुर

क्रमांक/नर्सिंग/एलएचवी/स्वै0नि0/वी-6/2017/ 822

दिनांक:- 27/10/17

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमती वसन्ता कुमारी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
2. प्रभारी सर्वर रुम को भेजकर लेख है, कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड  
करें।

*Sd*  
27-10-17

उप निदेशक (नर्सिंग)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राज.जयपुर